रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 1996/फाल्गुन 17, 1917
No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 1996/PHALGUNA 17, 1917

GOVT. OF INDIA

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1996

का० आ० 170 (अ).—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन राजकोट सीड्स ऑयल एण्ड बुलियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन लि०, राजकोट द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को एरण्ड में अग्रिम संविदा के बारे में 23-4-96 से 31-3-98 (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) की दो वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एसोसिएशन एतद्द्वारा मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मिसिल सं० 12(2)/आई० टी०/95]

अशोक कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1996

S.O. 170(E).—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Rajkot Seeds, Oil and Bullion Merchants Association Ltd., Rajkot, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of two years from 23-4-1996 to 31-3-1998 (both days inclusive) in respect of forward contracts in castorseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F.No. 12/(2)/IT/95]

ASHOK KAPUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and published by the Controller of Publications, Delhi–110054 . 1996